

निविदा आमंत्रण सूचना


वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी के इंटरनशिप कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहुई तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिहारशरीफ के अर्न्तगत शहरी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाने एवं वापस लाने हेतु व्यावसायिक निबंधन वाले भाड़े के दो वाहन, जिनमें बैठने की क्षमता 6-7 हो, तथा अधीक्षक के उपयोग के लिए एक वाहन (कुल तीन वाहन) की आवश्यकता है। इसकी उपलब्धता कराने हेतु द्वि-लिफाफा पद्धति में इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले वाहन मालिक/एजेंसी से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज (Tender Document) अधीक्षक कार्यालय वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा से Rs.500/- (रु० पांच सौ) मात्र का किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा Superintendent VIMS Hospital, Pawapuri के नाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो पावापुरी में भुगतये हो, जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति इसे वेबसाइट www.vimspawapuri.org से भी Download कर सकते हैं। निविदादाता अपनी सीलबंद निविदा अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा, पिन कोड-803115 के कार्यालय में भेजे। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 30.01.2020 संध्या 05:00 बजे तक है। निविदा दिनांक-31.01.2020 को 01.00 बजे अपराहन् में चयन समिति के समक्ष खोली जाएगी। अगर इसमें कोई तिथि अवकाश घोषित होती है तो वह अगले कार्य दिवस को होगी अर्थात् अगर 30.01.2020 को अवकाश होती है तो प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.01.2020 अर्थात् शुक्रवार होगी तथा निविदा खोलने की तिथि दिनांक-01.02.2020 (शनीवार) होगी। निविदा सिर्फ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी गई ही स्वीकार की जायेगी। अन्य किसी भी प्रकार यथा हाथों-हाथ /कूरियर द्वारा प्राप्त निविदा पर विचार योग्य नहीं होगी। निविदा खुलने के समय निविदा दाता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। अधीक्षक बिना किसी कारण बताए निविदा की शर्तों में छूट देने/स्थगित करने/ किसी शर्त/शर्तों को विलुप्त करने/निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि:- 30.01.2020 संध्या 05:00 बजे तक

निविदा खोलने की अंतिम तिथि:- 31.01.2020 अपराहन् 01:00 बजे

स्थान:-

अधीक्षक कार्यालय, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालन्दा, ओ०पी०डी०, तृतीय तल्ला।



अधीक्षक,

वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालन्दा।

व्यावसायिक वाहनों को भाड़े पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा इंटरनशिप के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक स्वा० केन्द्र रहुई, नालंदा एवं शहरी प्रा० स्वा० केन्द्र बिहार शरीफ ले जाने एवं लाने हेतु व्यावसायिक निबंधित वाहनों को मासिक किराए पर लेने के लिए द्वि लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदा आमंत्रित करते हैं।

निविदा के लिए अनुसूची

1. उद्देश्य:-

- व्यावसायिक वाहन को मासिक किराए पर इंटरनशिप प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वा० केन्द्र रहुई, ले जाने एवं लाने हेतु एक 6-7 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली ए०सी० गाड़ी जिसे अधिकतम 60 कि०मी० की दूरी तय करनी है। अधिकतम कार्य दिवस 26 दिन।
- व्यावसायिक वाहन इंटरनशिप प्रशिक्षुओं को शहरी प्रा० स्वा० केन्द्र बिहार शरीफ ले जाने एवं लाने हेतु एक ए० सी० गाड़ी जिसमें 6-7 यात्रियों के बैठने की क्षमता हो। इस गाड़ी को अधिकतम 40 कि०मी० की दूरी तय करनी है। अधिकतम कार्य दिवस 26 दिन।
- अधीक्षक हेतु एक गाड़ी ए०सी० गाड़ी वाहन जिसमें अधिकतम मासिक दुरी 1500 कि०मी० तय करनी है। कार्य दिवस पूरा माह।

2. निविदा शुल्क:-

रु० 500/= (रु० पांच सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट Superintendent, VIMS, Hospital, Pawapuri के नाम किसी राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत तथा पावापुरी में भुगतये। निविदा दस्तावेज अधीक्षक कार्यालय वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा से कार्य दिवस एवं कार्यावधि के दौरान वांछित ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दाता इसे वेबसाइट www.vimspawapuri.org से Download कर सकते हैं।

3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि:-

30.01.2020 संध्या 05:00 बजे तक निविदा अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा, पिन कोड-803115 के पते पर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा भेजना होगा। अन्य प्रकार से भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ना ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा। डाक विभाग की देरी कि लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

4. निविदा खुलने की तिथि:-

31.01.2020 अपराह्न 01:00 बजे अगर दोनो तिथियों में से कोई भी तिथि अथवा दोनो अवकाश घोषित होंगे तो दोनो के लिए क्रमशः अगली तिथियाँ अगले कार्य दिवस होंगे। सर्वप्रथम तकनीकि निविदा खोली जायेगी। तकनीकि रूप से सफल होने वाले निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकि रूप से सफल होने वाले निविदा दाताओं को उनके ई०मेल/ मोबाईल/ बेबसाइट पर वित्तीय निविदा खोलने की तिथि सूचित की जायेगी। असफल निविदा दाताओं को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदा दाता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि जिनके पास वैध प्राधिकार पत्र हो, रह सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में भी निविदाएँ खोली जाएगी और निविदा दाताओं की अनुपस्थिति, उपस्थिति निविदा नहीं खोलने की बाध्यता नहीं होगी।

- अग्रधन राशि (Earnest Money Deposit) पच्चीस हजार मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से Superintendent VIMS, Hospital, Pawapuri के पक्ष में निर्गत हो तथा पावापुरी में भुगतये हो।

6. स्थान:- अधीक्षक कार्यालय, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।
7. अनुबंध अवधि:- अनुबंध की तिथि से दो वर्ष, कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है पर शर्तें एवं दर पूर्ववत होगी।
8. निविदा की वैधता:- निविदा खुलने की तिथि से 120 दिन।

निविदादाता की पात्रता एवं शर्तें:-

1. भारत का नागरिक हो,
 2. पैन नम्बर धारक हो,
 3. जी0एस0टी0 से निबंधन (यदि लागू हो)
 4. निविदा दाता वाहन मालिक/पार्टनर शिप फर्म/ कम्पनी होना चाहिए एवं इसके पक्ष में समुचित अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। पार्टनरशिप फर्म होने पर अनुबंध पत्र एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करना होगा।
 5. सरकारी संस्थान/पी0एस0यू0 में गाड़ी भाड़ें पर देने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके प्रमाण स्वरूप संबंधित संस्थान के सक्षम पदाधिकारी का कार्यानुभव एवं सेवा संतुष्टि का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 6. किसी भी केन्द्रीय /राज्य सरकार/ पी0एस0यू0 द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए।
 7. निविदादाता का पुलिस भेरीफिकेसन/चरित्र प्रमाण पत्र, वाहन चालक सहित संलग्न करना होगा।
 8. किसी भी न्यायिक संस्थान द्वारा दंडित न हो। पुलिस अथवा न्यायालय में कोई वाद लंबित न हो।
 9. निविदादाता का स्वयं/फर्म का बैंक खाता होना चाहिए।
 10. निविदादाता के नाम से न्यूनतम एक गाड़ी का निबंधन होना चाहिए।
 11. अगर निविदादाता दो गाड़ियां देने में सक्षम नहीं है अर्थात् अगर उनके पास एक ही गाड़ी हैं तो वे दूसरे वाहन मालिक/फर्म से गाड़ियों की आपूर्ति कर सकते हैं, वशर्तें निविदादाता के पास उनका उन गाड़ियों की आपूर्ति करने का सहमति पत्र/प्राधिकार पत्र हो।
- निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा ध्यान से पढ़ें, तदनुरूप दिए गए निदेशों का पालन करें।

निविदा:- यह निविदा द्वि लिफाफा पद्धति (Two Bid System) से समर्पित करनी है।

1. तकनीकी निविदा:-

तकनीकी निविदा अनुसूची 1 में दिए गए प्रारूप में भरना होगा तथा मांगी गई सारी सूचनाएं क्रमवार देनी होगी तथा साक्ष्य हेतु आवश्यक अभिलेख संलग्न करना होगा। तकनीकी निविदा के सभी अभिलेख प्रपत्र सहित एक अच्छे मजबूत लिफाफे में रखने हैं। इसके साथ अगर निविदा वेबसाइट से डाउनलोड की गई है तो रू0-500 (पांच सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो Superintendent VIMS Hospital, Pawapuri, के पक्ष में किसी राष्ट्रीय बैंक से निर्गत हो तथा पावापुरी में भुगतये हो, संलग्न करें। कार्यालय से क्रय करने की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति संलग्न करे। तत्पश्चात् लिफाफा को चारों तरफ से सीलबंद कर दें। लिफाफे के उपर "व्यावसायिक वाहन का भाड़ें पर देने हेतु तकनीकी निविदा" लिखें और अपना नाम, पूरा पता, मोबाईल न0 तथा ई-मेल लिखें। तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करे।

- A. निविदा दाता के स्व वाहन मालिक/प्रोपराईटर होने का शपथ पत्र/पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनरशिप डीड एवं निबंधन की स्व अभिप्राणित छाया प्रति/ प्राईवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होने पर कम्पनी विधान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति
- B. पैन कार्ड की छाया प्रति
- C. जी0एस0टी0 निबंधन की छाया प्रति
- D. विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की छाया प्रति
- E. अनुभव के साक्ष्य की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति
- F. गाड़ी का मेक मॉडल एवं रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति, ऑनर बुक/अगर नई गाड़ी देने का प्रस्ताव है तो उसके संबंध में शपथ पत्र की निविदा दाता अगर कार्यादेश पाने में सफल होंगे तो एक माह के अन्दर

(न्यूनतम समयावधि) में वाहन उपलब्ध कराएंगे तथा प्रस्तावित मेक मॉडल का नाम/विशिष्टता उल्लेख करें।

G. चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति (पुरानी गाड़ी होने पर)

H. चालक का पुलिस भेरीफिकेशन/ आचरण प्रमाण पत्र छाया प्रति

I. गाड़ी के अद्यतन इश्योरेंश की छाया प्रति

J. गाड़ी के अद्यतन रोड टैक्स भुगतान की छाया प्रति

K. गाड़ी के अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण की छाया प्रति

L. किसी भी सरकारी/पीओएसओ द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने एवं किसी भी न्यायिक वाद के लंबित होने एवं पुलिस केस नहीं होने का शपथ पत्र मूल प्रति में।

M. निविदादाता के नाम से निबंधित गाड़ी का Owner Book / निबंधन प्रमाण पत्र । गाड़ियाँ अगर दूसरे वाहन मालिक/फर्म/एजेंसी के नाम से निबंधित है उनको प्राधिकार पत्र (Letter of Authorisation) जो निविदादाता के पक्ष में हो।

N. निविदा शुल्क Rs.500/= का बैंक ड्राफ्ट मूल

O. अग्रधन (Earnest money deposit) Rs. 25000/=का बैंक ड्राफ्ट जो Superintendent VIMS, Hospital, Pawapuri के नाम से किसी राष्ट्रीय बैंक से निर्गत हो तथा पावापुरी में भुगतये हो।

2- वित्तीय निविदा:-

दूसरे लिफाफे पर “व्यावसायिक वाहन को भाड़े पर देने हेतु वित्तीय निविदा” लिखें। साथ ही अपना नाम, पूरा पता, मोबाईल न0, ई-मेल आईडी लिखें। इस लिफाफे में विहित प्रपत्र में सिर्फ वित्तीय निविदा रखें। इसके अलावे कोई अन्य अभिलेख नहीं रखें वरना निविदा रद्द कर दी जायेगी। इसे चारो तरफ से सीलबंद करें।

3- दोनो निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय) एक तीसरे लिफाफे में रखें। उस लिफाफे पर “व्यावसायिक वाहन को भाड़ें पर देने हेतु निविदा” लिखें तथा अपना पूरा नाम, पता, मोबाईल न0 एवं ई-मेल लिखें। इस लिफाफे को चारों तरफ से सीलबंद करें तथा इसे स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा, पिन कोड-803115 के कार्यालय में भेज दें। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 30.01.2020 संध्या 05:00 बजे तक है। उसके बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नहीं होंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक विभाग की देरी के लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगी।

अग्रधन (Earnest Money Deposit):-

यह राशि सफल निविदादाता के चयन एवं अनुबंध पश्चात् 30 दिनों के अन्दर सभी निविदादाताओं को वापस कर दी जाएगी। इस पर ब्याज देय नहीं होगा। निविदा शुल्क वापस नहीं होगी। सफल निविदादाता का अग्रधन (EMD) उनके Performance Security amount जमा करने के बाद वापस होगा। अगर नियत अवधि तक राशि जमा नहीं होगी तो EMD जप्त कर ली जाएगी तथा जो निविदादाता L2 होंगे उन्हें अगर L1 दर पर गाड़ी देना मंजूर होगा तो प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य दिया जायेगा।

Performance Security Deposit:-


सफल निविदादाता को Performance Deposite के रूप में वित्तीय निविदा में जो राशि तय पाई जाएगी उसके वार्षिक होने वाले भुगतान का 10% बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। यह Deposit निविदा में सफलता की सूचना (Letter of Intent) के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर अनुबंध करना होगा। इसकी वैधता अनुबंध समाप्ति के तीन माह तत्पश्चात अर्थात् सत्ताईस माह की होगी। अगर अनुबंध एक वर्ष और बढ़ता है तो पुनः इसकी वैधता अनुबंध समाप्ति के तीन माह की और होगी। इस राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। किसी भी तरह के Default की राशि होने की स्थिति में उसकी भरपाई इस राशि से की जाएगी।

नियम एवं शर्तें (Term and conditions)

1. निविदा कम्प्यूटर टंकित होनी चाहिए। सभी पृष्ठ (संलग्न अभिलेखों सहित स्व अभिप्रमाणित एवं पृष्ठांकित होनी चाहिए) सभी पृष्ठ पर (निविदा अभिलेख सहित) भी हस्ताक्षर एवं स्टाम्प होने चाहिए। इनके बिना निविदा विचारणीय नहीं होगी।
2. बिना निविदा शुल्क एवं EMD के निविदा विचारणीय नहीं होगी।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकृत होगी।
4. अगर निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि अवकाश घोषित होती है तो प्राप्ति अगले कार्य दिवस एवं कार्यावधि तक की जायेगी एवं तदनु रूप निविदा खुलने की तिथि अगले कार्यावधि को पूर्व निर्धारित समय पर होगी।
5. निविदा खुलने की तिथि को तकनीकी निविदा खोली जाएगी। उस समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं। उपस्थिति कोई बाध्यता नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन पश्चात, तकनीकी रूप से सफल निविदा दाताओं की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय की सूचना तकनीकी रूप से सफल उम्मीदवारों को उनके मोबाईल / ई0मेल पर दी जाएगी। असफल उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की सूचना/निविदा अस्वीकृत होने के कारण की सूचना नहीं दी जायेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार/संपर्क निविदा रद्द करने का कारण हो सकता है। सिर्फ न्यूनतम दर ही चयन का आधार नहीं होगा।
6. निविदादाता हस्ताक्षर के नीचे अपना पुरा नाम लिखेंगे। अगर किसी भी स्तर/निविदा प्रक्रिया के दौरान अथवा कार्यादेश के पश्चात भी कोई चूक/गलत प्रतिवेदन की जानकारी मिलती है तो निविदा/ कार्यादेश रद्द कर विधि सम्मत कार्यवाई की जाएगी तथा EMD/Performance Security Money जप्त कर ली जाएगी।
7. निविदा/अभिलेखों में किसी भी प्रकार की कटाई(Cutting) अथवा इरेजर का प्रयोग उस निविदा/अभिलेख विशेष को अमान्य कर देगा। तकनीकी निविदा में निविदादाता को अगर संशोधन करना हो तो एक सीधी लाईन से काट कर संशोधित वाक्य/शब्द लिखें तथा वहां पर अपना लघु हस्ताक्षर करने होंगे। (Over writing) वाले अभिलेख/अस्पष्ट अभिलेख अमान्य होंगे।
8. संस्थान को दो ए0सी0 गाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक में 6-7 इंटरनशिप कर रहें मेडिकल छात्रों को बैठने की क्षमता हो, की आवश्यकता है। इनमें एक गाड़ी प्राथमिक स्वा0 केन्द्र रहुई जाएगी तथा दूसरी शहरी स्वा0 केन्द्र, बिहार शरीफ जाएगी। दोनों के समय अलग-अलग हो सकते हैं। रहुई वाली गाड़ी को अधिकतम 26 दिन कार्यावधि अधिकतम 8 घंटे तथा दूरी अधिकतम 60 कि0मी0 प्रतिदिन तय करनी होगी। उसी प्रकार शहरी स्वा0 केन्द्र बिहार शरीफ हेतु गाड़ी अधिकतम 26 दिन 8 घंटें तथा करीब 40 कि0मी दूरी तय करने होंगे। तीसरी गाड़ी अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा के उपयोग के लिए होगी। जो MPV/Sedan Ac होगी। इसका उपयोग 30/31 दिन होगी। इसका Make Model वित्तीय निविदा में दिया गया है।
9. गाड़ियों का Make Model अधिकतम 2017 होगा अर्थात अधिकतम तीन साल पुरानी गाड़ी होनी चाहिए। उससे ज्यादा पुरानी गाड़ियां स्वीकार नहीं की जायेगी। वर्तमान वर्ष अथवा नई गाड़ियाँ को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर निविदादाता नई गाड़ी देने का प्रस्ताव करता है और वाहन उपलब्ध कराने की निविदा प्राप्त करने में सफल होता है तो उसे एक माह के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा। गाड़ियाँ का निबंधन व्यावसायिक (Commercial) होगा। अधीक्षक हेतु जो गाड़ी दी जाए उसे अगर All India Permit होगा तो यह उसके लिए Plus Point होगा।

10. वाहन चालक का वैध एवं अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसे गाड़ियों के सामान्य गड़बड़ियों को दूर कर गाड़ी चालू हालत में रखने का ज्ञान एवं LMV गाड़ी चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसे अनुशासित, मृदु भाषी, समय का पाबंद तथा नशे से दूर होना चाहिए। अगर चालक के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसे अविलंब बदलना होना। उसे वाहन चालन एवं यातायात नियमों, सड़कों, रूटस का ज्ञान होना चाहिए। उसका मोबाईल हमेशा चालू अवस्था में होना चाहिए जिसका भुगतान निविदादाता करेंगे।
11. गाड़ी का रख रखाव, साफ सफाई, विभिन्न टैक्स एवं सर्टिफिकेट, इंधन, इश्योरेंस, सर्विसिंग इत्यादि जितनी भी आवश्यकताएँ हैं उसकी जिम्मेवारी व भुगतान निविदादाता को करना होगा। पार्किंग फीस तथा टॉल टैक्स का भुगतान वाहन चालक करेगा तथा उसका Reimbursement संस्थान करेगी/ निविदादाता को मासिक भाड़े के अतिरिक्त कोई राशि अलग से नहीं दी जायेगी। जी0एस0टी0 का भुगतान निविदादाता करेंगे तथा भुगतान की प्रति Reimbursement हेतु संस्थान को देंगे। उसका भुगतान होगा। चालक की वर्दी निविदादाता को उपलब्ध करानी होगी तथा साफ-सफाई होनी चाहिए। सभी गाड़ियों का लॉग बुक होगा जो उपयोग से पहले पुनः कार्य समाप्ति पश्चात उपयोगकर्ता से हस्ताक्षरित करवा कर कार्यालय को जाँच हेतु देना होगा। ड्राइवर का स्थानीय पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा। साथ ही निविदा दाता भी एक प्रमाण पत्र देंगे कि ड्राइवर जो उनके द्वारा दिया जा रहा है अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। ड्राइवर को बदलने के पूर्व संस्थान को सूचना देनी होगी तथा नये ड्राइवर का भी सभी वांछित अभिलेख जमा करना होगा।
12. चूंकि वाहन का उपयोग अधीक्षक/प्रशिक्षुओं के लिए होना है अतएव अगर कहीं रास्तों में गाड़ी खराब होती है तो पुनः वापस लाने/गंतव्य स्थान पर पहुँचाकर वापस लाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। जिसके लिए तत्काल दूसरे वाहन का इंतजाम निविदादाता को करना होगा।
13. गाड़ियों का प्रयोग दूसरे प्रयोजन के लिए निविदादाता नहीं कर सकेंगे।
14. दर अपरिवर्तनीय होंगे एवं अनुबंध की पूरी अवधि तक समान होंगे।
15. संवेदक जो गाड़ियाँ देंगे वे सभी सम्पूर्ण रूप से अच्छी हालत में होने चाहिए। गाड़ियों में आधुनिक साज सज्जा यथा साफ सुथरे सीट कवर, सीट बेल्ट, कार परफ्यूम, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि होने चाहिए। जिसका रख-रखाव एवं आपूर्ति संवेदक को करना होगा। संस्थान सिर्फ तय मासिक किराया भुगतान करेगा तथा जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण पत्र देने पर संवेदक को उस राशि का Reimbursement करेगा।
16. अगर गाड़ी में किसी भी प्रकार की खराबी (Breakdown) आ गई तो संवेदक दूसरी गाड़ी का प्रबंध करेंगे। यदि संस्थान द्वारा दूसरी गाड़ी का प्रबंध किया जाना हुआ तो उसकी राशि संवेदक को जमा करनी होगी।
17. वाहन चालन एवं वाहन चालक Motor vehicle Act/Motor Vehicle rule से शासित (Governed) होंगे। इन नियमों के पालन में त्रुटि की जिम्मेवारी उनकी होगी और अगर किसी प्रकार का जुर्माना देना पड़ता है तो संवेदक को भुगतान करना होगा।
18. अग्रिम के रूप में कोई भी राशि देय नहीं होगी।
19. भुगतान हेतु मासिक विपत्र गाड़ी नम्बर एवं लॉग बुक के साथ कार्यालय में प्रथम सप्ताह में जमा करना संवेदक द्वारा अपेक्षित है। गाड़ी मद में राशि होने पर उसका भुगतान किया जायेगा। आयकर की सुसंगत धारा के तहत आयकर राशि काट कर भुगतान किया जाएगा।
20. संवेदक को सलाह दी जाती है कि गाड़ी में सभी आवश्यक अभिलेख यथा इश्योरेंस, पर्यावरण का प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी आवश्यक कागजात हो उसे रखें। संवेदक गाड़ी खराब होने की स्थिति में गाड़ी की अविलंब मरम्मत कराएंगे और तब तक के लिए दुसरी गाड़ी की व्यवस्था करेंगे।
21. किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप अगर कोई दावा होता है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही एवं देनदारी संवेदक की होगी। संवेदक गाड़ी के परिचालन/चालक/अन्य कर्मों जो संवेदक के नियंत्रण में हैं उनके द्वारा घटित किसी घटना के विरुद्ध संस्थान को संरक्षित करेंगे। (Indemnity)

22. गाड़ी की सुरक्षा संवेदक की जिम्मेवारी होगी।
23. कम से कम एक गाड़ी निविदादाता के नाम से निबंधित होनी चाहिए। दूसरी गाड़ियाँ अगर दूसरे के नाम से निबंधित है ; निविदादाता उस गाड़ी को देना चाहता है तो गाड़ी जिसके नाम/फर्म/एजेंसी के नाम से निबंधित है उनका प्राधिकार पत्र (Letter of authorization) जो निविदादाता के पक्ष में हो, उसे निविदा के तकनीकी भाग के साथ संलग्न करना होगा।
24. हर माह जो किलोमीटर बच जाएंगे उसका सामंजस्य अगले माह के किलोमीटर में होगा। इस प्रकार साल के अंत में जो अधिक किलोमीटर होगा उसका भुगतान निर्धारित दर पर किया जायेगा। सामंजस्य हेतु इंटरन के प्रयोग हेतु दोनो गाड़ियाँ एक इकाई होगी।
25. Penalties (दंड):-
- समय पर गाड़ी नही देने पर 100/- प्रति घंटा।
 - वैकल्पिक व्यवस्था नही करने पर रु0 500/- प्रति चूक या दूसरे स्ट्रॉत से गाड़ी की व्यवस्था पर खर्च जो ज्यादा हो।
 - वाहन चालक के दुर्व्यवहार पर रु0 500/- प्रति चूक।
 - सेवा शर्तों के उल्लंघन पर रु0 1000/- प्रति चूक/एवं या अनुबंध की समाप्ति एवं Performance Security की जप्ती।
26. अनुबंध की समाप्ति (Termination of Contract):- सेवा शर्तों के उल्लंघन, संतोषप्रद सेवा प्राप्त न होने पर अथवा किसी अन्य कारण से जिसे अधीक्षक उपर्युक्त समझते हैं ; अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। अगर संवेदक अनुबंध समाप्त करने को इच्छुक हो तो उन्हें तीन माह पूर्व सूचना देनी होगी। फिर भी जब तक दूसरी निविदा नहीं होती है उन्हे सेवा प्रदान करनी होगी।
27. किसी भी प्रकार का दोनो पक्षों में विवाद होने पर उसका हल दोनो पक्ष आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालेंगे। अगर इससे बात नही बनती है तो Arbitration प्राचार्य अथवा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी करेंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी न्यायिक दावा का क्षेत्र स्थानीय न्यायालय होगा।
28. किसी भी प्राकृतिक आपदा हड़ताल, दैविक आपदा होने के कारण कार्य प्रारंभ में विलंब होता है तो इसकी सूचना अविलंब देनी होगी।
29. कार्यादेश प्राप्त होने पर कार्य एक सप्ताह के अन्दर शुरू करना होगा। नई गाड़ी की स्थिति में एक माह के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा। अगर यह संभव नही हो पा रहा है तो एक सप्ताह पूर्व संवेदक और समय की मांग कर सकता है, पर इस मांग का औचित्य अभिलेख के रूप में देना होगा। यह समय देना समिति के अधिकार क्षेत्र में है और यदि समिति समझती है कि समय देने से कार्य प्रगति या कार्य प्रभावित होगा तो वह दूसरे L2 को L1 की दर पर कार्यादेश देगी एवं L1 की जमा राशि जप्त कर ली जाएगी।
30. अधीक्षक बिना कारण बताए निविदा की शर्तों में छूट देने/स्थगित करने/किसी शर्त/ शर्तों को विलुप्त करने/ निविदा निरस्त करने का अधिकार निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर ; सुरक्षित रखते हैं।



अधीक्षक,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालंदा।

भाड़े पर व्यावसायिक वाहन देने हेतु तकनीकी निविदा का प्रपत्र

क्र० स०	विवरण	ब्योरा	पेज न०
01.	फर्म/एजेंसी का नाम, पता		
02.	फर्म/वाहन मालिक का नाम		
03.	पता,मोबाईल न०ए ई०मेल आई०डी		
04.	निविदा शुल्क Rs. 500/= का डिमांड ड्राफ्ट(मूल) जो Superintendent VIMS Hospital, Pawapuri के नाम से देय हो तथा पावापुरी में भुगतये हो। निविदा अभिलेख कार्यालय से खरीदने पर डिमांड ड्राफ्ट की छाया प्रति।	ड्राफ्ट न० इत्यादि	
5.	अग्रधन (EMD) राशि का Rs. 25000/= का डिमांड ड्राफ्ट मूल जो Superintendent VIMS Hospital, Pawapuri के नाम से देय हो तथा पावापुरी में भुगतये हो	ड्राफ्ट न० इत्यादि	
6.	पैन न० एवं उसकी छाया प्रति स्वअभिप्राणित		
7.	जी०एस०टी० से निबंधन प्रमाण पत्र का स्वअभिप्राणित छाया प्रति		
8.	विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छाया प्रति स्वअभिप्राणित		
9.	वाहन मालिक/प्रोपराईटर फर्म होने का शपथ पत्र/पार्टनरशिप डीड फर्म का निबंधन एवं MOA जो भी समुचित प्रमाण हो (Appropriate Document)		
10.	काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र		
11.	अगर दूसरे व्यक्ति की गाड़ी भी देने का प्रस्ताव हो तो उसके मालिक का प्राधिकार पत्र		
12.	जो गाड़ी निविदादाता के नाम से निबंधित हो उसका ऑनर बुक		
13.	अगर नई गाड़ियाँ देने का प्रस्ताव है तो तीनों गाड़ियों का Make Model तथा कालावधि(कब तक गाड़ियाँ उपलब्ध कराएँगे)		
14.	पुरानी गाड़ियाँ के प्रस्ताव के संबंध में	A. गाड़ी का मॉडल, मेक B. गाड़ी का Manufacture Year C. कितने किलोमीटर गाड़ी चली है (निविदा देने की तिथि तक) D. RC Book No. सभी प्रस्तावित गाड़ियाँ का स्वअभिप्राणित प्रति संलग्न करें E. Insurance F. अद्यतन रोड टैक्स G. अद्यतन प्रदुषण नियंत्रण अभिलेखों की छाया प्रति स्वअभिप्राणित संलग्न करें।	
15.	अनुभव के साक्ष्य की स्वअभिप्राणित प्रति		
16.	चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति		
17.	प्रत्येक गाड़ी के चालक का आचरण प्रमाण पत्र		
18.	काली सूची एवं किसी न्यायिक वाद (पुलिस केस नहीं होने का शपथ पत्र विहित प्रपत्र में, मूल प्रति संलग्न करें।		
19.	अगर निविदा के अभिलेख (Tender Document) निविदादाता/फर्म / कम्पनी के बदले किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है तो मूल में सक्षम व्यक्ति द्वारा दिय गया, Power of Attorney मूल में।		

निविदादाता का हस्ताक्षर
(पुरा नाम, स्टाम्प)

नोट:- निविदा व संलग्न अभिलेखों के सभी पृष्ठ पृष्ठांकित (Page Numbring) एवं स्वअभिप्राणित स्टाम्प सहित करें। अपठनीय/अस्पष्ट अभिलेखों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भाड़े पर व्यावसायिक वाहन देने हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

निविदादात का नाम एवं पता.....

मो० न०..... ई०मेल० आई०डी०.....

क्र० सं० 1.	इंटरन प्रशिक्षणार्थ -दो 6-7 सीटर ए०सी० गाड़ी	मेक मॉडल, उत्पाद वर्ष	निविदा समर्पित करने तक तय दूरी	2700 Km (1500+1200)प्रतिमाह के लिए प्रस्तावित दर अंक एव शब्द दोनो में। दोनों गाड़ियाँ का (सम्मिलित)	2700 Km से अतिरिक्त चलने पर प्रति कि० मी० दर अंक एव शब्द दोनो में।	अधिकतम राशि दो गाड़ियों के लिए Rs. 58000/=
2.	अधीक्षक हेतु ए०सी०गाड़ी INNOVA CRYSTA/CRETA/HONDA CITY/VERNA/CLAZ/KIA SELTOS/या उसके समकक्ष।	”	”	1500 km प्रतिमाह के लिए प्रस्तावित दर अंक एव शब्द दोनो में।	1500 km अतिरिक्त चलने पर प्रति कि०मी० दर अंक एव शब्द दोनो में।	अधिकतम राशि एक गाड़ी के लिए Rs. 40000/=
				तीन गाड़ियों का कुल प्रस्तावित दर अंक एव शब्द दोनो में।		

जी०एस०टी० का भुगतान संवदेक करेंगे तथा भुगतान पश्चात उसका विपत्र जमा करेंगे जिसका Reimbursement किया जायेगा। यदि शब्दों एवं अंक की राशि में भिन्नता होगी तो कम राशि वाला ही मान्य होगा।

नोट:- नयी गाड़ी का प्रस्ताव देने वाले निविदादाता उल्लेख करेंगे कि अगर उनका चयन होता है तो वे गाड़ी कितने दिनों में उपलब्ध कराएँगे।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(पुरा नाम, स्टाम्प)